आर.एन.आर.

उजागर सिंह, जे के समक्ष

हाकम सिंह,- अपीलकर्ता

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़,-प्रतिवादी

1987 की आपराधिक अपील संख्या 235-एसबी।

22 मई 1987.

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (1985 का एलएक्सआई) - धारा 41, 42, 50, 52 और 55 - क्या अनिवार्य है - उक्त प्रावधानों का अनुपालन न करना - परीक्षण पर प्रभाव।

अधिकृत किया गया कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 41 की उपधारा (2) अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है, यदि उसके पास किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए व्यक्तिगत ज्ञान या जानकारी पर विश्वास करने का कारण है। वह लिख रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति ने अधिनियम के अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध किया है। यदि गुप्त सूचना जिस पर गिरफ्तारी आधारित है, लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं

की गई है और ऐसा कोई लेखन न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है और यहां तक कि पुलिस पार्टी द्वारा कथित गुप्त सूचना को लिखित रूप में कम करने का प्रयास भी अनुपालन में नहीं किया गया है। धारा 41 और 52 के साथ। यह उल्लंघन निश्चित रूप से आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह का कारण बनेगा क्योंकि किसी भी लेखन के अभाव में प्राप्त जानकारी के तथ्य और सामग्री के संबंध में अधिकारी से जिरह करने का कोई मौका नहीं होगा। इसलिए, इन प्रावधानों को केवल औपचारिकता नहीं कहा जा सकता है और ये वास्तव में अनिवार्य हैं।

अधिकृत किया गया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 50 में आने वाले शब्द "यदि ऐसे व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है" अनिवार्य है और अधिकारी को उस व्यक्ति से पूछना होगा कि क्या वह निकटतम ले जाना चाहता है राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास। जब तक तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया जाता, तब तक उक्त बातें अमल में नहीं आएंगी।

अधिकृत किया गया कि धारा 52 किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का कर्तव्य देती है और वारंट के तहत जब्त की गई वस्तुओं को उस मजिस्ट्रेट को, जिसके द्वारा वारंट जारी किया गया था या अधिकारी को अनावश्यक विलंब के बिना भेजा जाएगा। निकटतम पुलिस स्टेशन का प्रभारी या अधिनियम की धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी। इसमें आगे कहा गया है कि जिस प्राधिकारी या अधिकारी को कोई व्यक्ति या वस्तु भेजी जाती है, वह सभी सुविधाजनक प्रेषण के साथ ऐसे उपाय करेगा

जो ऐसे व्यक्ति या वस्तु के कानून के अनुसार निपटान के लिए आवश्यक हो सकते हैं। इसलिए प्रावधान अनिवार्य है.

अधिकृत किया गया कि धारा 55 में इस अधिनियम के तहत जब्त की गई सभी वस्तुओं को सुरक्षित हिरासत में रखने और किसी भी अधिकारी को ऐसी वस्तुओं को पुलिस स्टेशन में ले जाने और ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुहर लगाने की अनुमति देने की आवश्यकता है। यदि प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया तो मुकदमा रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए प्रावधान अनिवार्य है.

श्री एच. एल. रणदेव, सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ के दिनांक 5 जनवरी, 1987/12 जनवरी, 1987 के आदेश के विरुद्ध अपील, अपीलकर्ता को आश्वस्त करना और सजा सुनाना।

आरोप और सजा

दस साल के लिए आर.आई. और रुपये का जुर्माना। 1.00.000 (एक लाख रुपये) का जुर्माना अदा न करने पर नारकोटिक ड्रग्स एंड सुकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट, 1985 की धारा 18 के तहत पांच साल के लिए अतिरिक्त सज़ा दी जाएगी।

-आदित्य शर्मा। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

एच.एस. बराड़, अधिवक्ता और जे.एस. तेजी, अधिवक्ता

निर्णय

उजागर सिंह, जे.

1. 1.5 किलोग्राम कुचले हुए पोस्ता सिर की बरामदगी के कारण अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया, जिसके लिए उसे 10 साल के कठोर कारावास और रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। 1,00,000/- या जुर्माना अदा न करने पर 5 साल के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा और इसे इस अपील में चुनौती दी गई है।

2. एएसआई मंजीत सिंह, कांस्टेबल सुखचैन सिंह और मोहन सिंह के साथ, 29-4-1986 को शाम लगभग 7.30 बजे पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस, चंडीगढ़ के पीछे मौजूद थे। उन्हें गुप्त सूचना मिली कि अपीलकर्ता कुचला हुआ पोस्त लेकर ग्राम धनास के बस स्टॉप से गुजरेगा। इलेक्ट्रिसिटी विभाग में क्लर्क मोहन सिंह उधर से गुजरे और एएसआई उनके साथ हो लिए। इसके बाद पार्टी उक्त बस स्टॉप की ओर बढ़ी और स्थल पर धरना दिया गया। कुछ देर बाद अपीलार्थी को सारनपुर गांव की ओर से आते देखा गया। अपीलकर्ता बस स्टॉप पर पहुंचा और पुलिस पार्टी को देखकर वापस मुड़ गया, जिस पर संदेह के आधार पर उसे काबू कर लिया गया। उसके दाहिने हाथ से झोला एक्स. पीएल बरामद किया गया और एएसआई द्वारा अपीलकर्ता को अपनी व्यक्तिगत तलाशी देने के बाद, अपीलकर्ता के व्यक्ति की उसके द्वारा उठाए गए झोला से तलाशी ली गई, कुचले हुए पोस्त के सिर, जिनका वजन 1.5 किलोग्राम था, बरामद किया गया और अपीलकर्ता इसके

कब्जे के लिए कोई परमिट पेश नहीं कर सका। . जिस चमकदार कागज में इसे ले जाया गया था उसे कब्जे में ले लिया गया। रुक्का को कांस्टेबल सुखचैन सिंह के माध्यम से मामला दर्ज करने के लिए भेजा गया था और इसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जांच की विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, धारा 173, आपराधिक पीसी (संक्षेप में संहिता) के तहत रिपोर्ट इल्लाक्वा मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई। कुचले हुए पोस्त के सिरों के सीलबंद बैग को कांस्टेबल जगदीश सिंह के माध्यम से रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया और रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उसमें मॉर्फिन और मेकोनिक एसिड मौजूद पाया गया।

3. दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद, मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए सौंप दिया। सत्र न्यायाधीश ने, धारा 18, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 (1985 का 61) (शीघ्र ही अधिनियम) के तहत अपराध के लिए आरोप तय करने के बाद, जिसके लिए अपीलकर्ता ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, कांस्टेबल मोहन सिंह (पीडब्लू.1) से पूछताछ की।), जसवन्त सिंह ड्राफ्ट्समैन (पीडब्लू 2) जिन्होंने पुनर्प्राप्ति स्थल की साइट योजना तैयार की; मोहन सिंह, उक्त क्लर्क (पीडब्लू 5) और एएसआई मंजीत सिंह (पीडब्लू 6)। अभियोजन पक्ष ने क्रमशः पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 के रूप में कांस्टेबल जगबीर सिंह और एमएचसी ठाकुर सिंह के हलफनामे प्रस्तुत किए। अपीलकर्ता ने संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी है। उन्होंने आगे कहा है कि 28-4-1986 को शाम लगभग 6 बजे एएसआई मंजीत सिंह ने सब-इंस्पेक्टर केआईपी सिंह, एसआई करतार सिंह, एएसआई बलदेव सिंह और कुछ कांस्टेबलों की कंपनी में उनके घर पर छापा मारा और घरों की तलाशी भी ली। दलीप सिंह, सत पाल और संजोगता की, लेकिन उनमें से किसी के भी घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इसके बावजूद, उन्होंने आगे कहा कि उन चारों को पुलिस स्टेशन सेक्टर 11, चंडीगढ़ ले जाया गया और

अगली शाम यानी 7:30 बजे तक रात भर हिरासत में रखा गया जब यह मामला उन पर और तीन अन्य पर थोपा गया था। उक्त तीनों व्यक्तियों पर मुकदमा कायम किया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उक्त दलीप सिंह को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा बरी कर दिया गया है और उन्होंने पूर्व में आवेदन किया है। डीए, दिनांक 5-11-1986 के निर्णय की प्रमाणित प्रति।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि अधिनियम के प्रावधान अनिवार्य हैं और फाइल पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उक्त प्रावधानों में से किसी का अनुपालन किया गया है। साथ। उन्होंने आगे दृढ़तापूर्वक आग्रह किया है कि मोहन सिंह (पीडब्लू 5) की उपस्थिति सबसे अधिक संदिग्ध है और बताया है कि बस स्टॉप पर मौजूद जनता का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था, उपरोक्त तर्क के अलावा, उन्होंने कुछ विसंगतियों की ओर इशारा किया है अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विवरण।

5. इस अधिनियम ने अफीम अधिनियम (1857 का 13), अफीम अधिनियम , 1878 (1878 का 1) और खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 (1930 का 2) को निरस्त कर दिया है और व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उनकी खोज, बरामद वस्तु को जमा करना, वहां से नमूने लेना आदि अलग-अलग हैं! अधिनियम की धाराएं, लेकिन संहिता के प्रावधानों के अनुप्रयोग को बचा लिया है, जहां तक कि वे जारी किए गए वारंट, गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। अफ़ीम अधिनियम , 1878 के तहत कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं थी सिवाय इसके कि बिना लाइसेंस के अफ़ीम रखने को दंडनीय बनाया गया था और कोई न्यूनतम सज़ा निर्धारित नहीं थी, लेकिन सज़ा का पूरा

मामला न्यायिक न्यायालयों के विवेक पर छोड़ दिया गया था जो तदनुसार किया जाता था। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में। अधिनियम में न्यूनतम 10 वर्ष के कठोर कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा निर्धारित की गई है। संबंधित व्यक्ति की पिछली सजा के बाद अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा के साथ, बरामद की गई मात्रा की परवाह किए बिना 1,00,000/- रु. अधिनियम की धारा 32 उस व्यक्ति के लिए कारावास का प्रावधान करती है, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है, जो अधिनियम के किसी भी प्रावधान या बनाए गए किसी नियम या आदेश, या किसी लाइसेंस, परमिट की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है। या उसके तहत जारी प्राधिकरण जिसके लिए अलग से कोई सजा प्रदान नहीं की गई है। अधिनियम की धारा 33 किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के संबंध में संहिता की धारा 360 के आवेदन को बाहर करती है, जब तक कि ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का न हो या जिस अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है वह धारा 26 या धारा 27 के तहत दंडनीय हो। उसके धारा 26 एक लाइसेंसधारी या उसके नौकर द्वारा कुछ कृत्यों के लिए सजा का प्रावधान करती है, धारा 27 व्यक्तिगत उपभोग के लिए किसी भी नशीली दवा या मनोदैहिक पदार्थों की थोड़ी मात्रा में अवैध कब्जे के लिए सजा का प्रावधान करती है और सजा देने के लिए न्यायालयों को विवेकाधिकार दिया गया है जो एक तक बढ़ सकता है। एक साल या जुर्माना या दोनों और छह महीने या जुर्माना या दोनों, जैसा भी मामला हो, लेकिन यह धारा संबंधित व्यक्ति पर इसके अवयवों को साबित करने का बोझ डालती है।

6. अधिनियम का अध्याय V प्रक्रिया को विस्तार से प्रदान करता है, इसकी धारा 41 की उप-धारा (2) में परिकल्पना की गई है कि अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है या किसी इमारत, वाहन या स्थान की तलाशी ले रहा है, चाहे वह दिन में हो या रात में। ऐसे अधिकारी को केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त किया

जाता है, लेकिन वह ऐसा केवल तभी कर सकता है जब उसके पास व्यक्तिगत ज्ञान या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित रूप में ली गई जानकारी पर विश्वास करने का कारण हो कि कोई भी व्यक्ति चैप के तहत दंडनीय अपराध किया है। अधिनियम का IV या कोई भी नशीली दवा या मन:प्रभावी पदार्थ, जिसके संबंध में चैप्टर के तहत दंडनीय कोई भी अपराध। चतुर्थ अधिनियम कायम किया गया है, जिसे वर्तमान मामले में रखा गया है, अभियोजन पक्ष के अनुसार, एएसआई मंजीत सिंह (पीडब्लू 6) को अपराध की जाँच के संबंध में गश्त के दौरान एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। यह गुप्त जानकारी लिखित रूप में नहीं दी गई थी और ऐसा कोई लेखन, यदि हुआ भी हो, अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि उपरोक्त गुप्त सूचना प्राप्त होने पर और मोहन सिंह (पीडब्लू 5) के साथ शामिल होने के बाद, पुलिस पार्टी गांव धनास के स्थानीय बस स्टॉप के लिए रवाना हुई और जब अपीलकर्ता उस स्थान की ओर आया, तो उसे काबू कर लिया गया। संदेह पर. इसके बाद ही जब तलाशी लेने पर कुचले हुए पोस्त के सिर बरामद हुए तो मामला दर्ज करने के लिए लिखित रूप में रुका भेजा गया। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा बताई गई घटनाओं का क्रम पुलिस पार्टी द्वारा कथित गुप्त जानकारी को लिखित रूप में लिखने के प्रयास को भी शामिल नहीं करता है। यह प्रावधान महज औपचारिकता नहीं कहा जा सकता. इसके पीछे उद्देश्य यह है कि अदालत में रखे गए किसी भी संस्करण का समर्थन करने के लिए गुप्त सूचना की कहानी न गढ़ी जाए।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने राधा किशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और खंडू सोनू बनाम महाराष्ट्र राज्य का उल्लेख किया है और जोरदार तर्क दिया है कि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई भी खोज और जांच की अमान्यता मुकदमे को खराब नहीं करती है। राधा कृष्ण के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा पहुंचे निष्कर्षों की सुधारात्मकता या अन्यथा के बारे में खुद को संतुष्ट करने के सबूतों की दोबारा जांच करने से इनकार कर दिया, जिसके द्वारा

जब्ती के तथ्य के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य स्वीकार किए गए थे। इससे प्रस्तावित प्रस्ताव में कोई मदद नहीं मिलती। खंडू सोनू का मामला (सुप्रा) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि कार्यवाही की जांच की अमान्यता, मुकदमे के परिणामस्वरूप, आरोपी की सजा को रद्द नहीं करेगी, लेकिन साथ ही, , यह निर्धारित किया गया था कि जांच में अवैधता से आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा नहीं होना चाहिए या न्याय का गर्भपात नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत , इस मामले में जुर्माना उतना कठोर नहीं है। यह अधिनियम , जैसा कि पहले ही कहा गया है, कारावास और जुर्माने की न्यूनतम सजा का प्रावधान करता है और इसलिए, इसके प्रावधानों से विचलन की जांच की जानी चाहिए।

7. अधिनियम की धारा 43 ऐसे किसी भी अधिकारी को बिना वारंट या प्राधिकरण के प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति देती है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है, लेकिन वह ऐसा कर सकता है। ऐसा केवल तभी जब उसके पास व्यक्तिगत ज्ञान या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित रूप में ली गई जानकारी पर विश्वास करने का कारण हो। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, एएसआई मंजीत सिंह को एक गुप्त सूचना मिली थी, लेकिन इसे लिखित में नहीं लिया गया था, यह शर्त बिना किसी उद्देश्य के नहीं रखी गई है। इसका उल्लंघन, निश्चित रूप से आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह का कारण बनेगा, क्योंकि, किसी भी लेखन के अभाव में, प्राप्त जानकारी के तथ्य और सामग्री के संबंध में अधिकारी से जिरह करने का कोई मौका नहीं होगा।

8. तलाशी लेने से पहले, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों में कहा गया है कि जो अधिकारी विधिवत अधिकृत है, वह कोई तलाशी नहीं लेगा, यदि जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है, उसे

निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाने से पहले ऐसी आवश्यकता होगी। अधिनियम की धारा 42 में उल्लिखित विभाग के या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास। शब्द "यदि ऐसे व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है", अनिवार्य हैं और अधिकारी को उस व्यक्ति से पूछना होगा कि क्या वह उक्त निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहता है। जब तक तलाशी लेने वाले व्यक्ति को उसके अधिकार की जानकारी नहीं दी जाती, तब तक उक्त बातें अमल में नहीं आएंगी। वर्तमान मामले में, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता को उसके व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले किसी भी समय उसके अधिकार के बारे में सूचित किया गया था।

9. धारा 52 एक और अनिवार्य प्रावधान देती है, जिसके अनुसार, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला अधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करेगा और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और वारंट के तहत जब्त की गई वस्तु को अनावश्यक देरी के बिना अग्रेषित किया जाएगा। उस मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा वारंट जारी किया गया था या निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को या अधिनियम की धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को। इसमें आगे कहा गया है कि जिस प्राधिकारी या अधिकारी को कोई व्यक्ति या वस्तु भेजी जाती है, वह सभी सुविधाजनक प्रेषण के साथ ऐसे उपाय करेगा जो ऐसे व्यक्ति या वस्तु के कानून के अनुसार निपटान के लिए आवश्यक हो सकते हैं। अधिनियम की धारा 55 के तहत एक और अनिवार्य प्रावधान है । इस धारा के अनुसार, एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी उस पुलिस स्टेशन के स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के तहत जब्त की गई सभी वस्तुओं को मजिस्ट्रेट के आदेश तक, कार्यभार संभालेगा और सुरक्षित हिरासत में रखेगा। उसे, और किसी भी अधिकारी को अनुमति देगा जो ऐसी वस्तुओं को पुलिस स्टेशन तक ले जा सकता है या जिसे ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुहर लगाने या उनसे नमूने लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता

है और इस प्रकार लिए गए सभी नमूनों को भी एक के साथ सील किया जाएगा। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की मुहर. वर्तमान मामले में साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलकर्ता की व्यक्तिगत तलाशी से कुचले हुए पोस्त के सिर मिले, जिनका वजन 1.5 किलोग्राम था। बरामद किया गया और उसे घटनास्थल पर ही सील करने के बाद अपने कब्जे में ले लिया गया और पुलिस स्टेशन में वस्तुओं के साथ जाने वाले अधिकारी की आवश्यकता और फिर ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुहर लगाने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया है, वास्तव में इरादा संसद का उद्देश्य जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना और एक आम शिकायत को दूर करना था कि निचले स्तर के अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, खासकर जब यह लगातार माना जाता रहा है कि एक पुलिस अधिकारी की गवाही किसी भी पुलिस अधिकारी की गवाही की तरह होती है। अन्य व्यक्ति.

10. अधिनियम को 16 सितंबर 1985 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, और इसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3(1) , संख्या 75, दिनांक 16 सितंबर, 1985 में प्रकाशित किया गया और यह वसूली हुई 29-4-1986 को हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है, अधिनियम की धारा 74 के अनुसार , सरकार का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले, इस अधिनियम में प्रदान किए गए किसी भी मामले के संबंध में किसी भी शक्ति या कर्तव्यों का प्रयोग या पालन करेगा। इस तरह के प्रारंभ को इस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उसी पद पर और उसी पदनाम के साथ नियुक्त माना जाएगा जैसा कि वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले धारण कर रहा था, लेकिन यह प्रावधान केवल एक संक्रमणकालीन प्रावधान है और इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता है। अधिकारी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विवेक पर कोई भी अवधि। इस खंड के शीर्षक में इस्तेमाल किया गया 'संक्रमणकालीन' शब्द ही इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि यह प्रावधान बहुत ही सीमित अवधि के लिए था ताकि केंद्र सरकार

या राज्य सरकार को प्रारंभिक तिथि पर सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अधिकारियों को विशेष रूप से अधिकृत करने में सक्षम बनाया जा सके।

11. अन्यथा भी, धारा 74 यह नहीं बताती है कि अधिनियम की धारा 41 और 44 के प्रावधानों के अलावा अन्य अनिवार्य प्रावधानों को धारा 74 की मदद से अधिकारी द्वारा अनदेखा किया जा सकता है । यह बहुत स्पष्ट है कि अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है और इससे अपीलकर्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

12. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत यह अपील स्वीकार की जाती है; ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ता को आरोप से बरी कर दिया जाता है। यदि जुर्माना अदा कर दिया गया है तो वापस कर दिया जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा